तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 63/2022 अनवान दीपसिंह बनाम डूंगरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

आदेश

11/01/23

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि एक राजस्व वाद वास्ते घोषणा का प्रस्तुत किया है, जिसमे सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। वकील प्रार्थी का कथन है कि मौजा चूली पटवार हल्का चूली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 29, 37 तथा मौजा आदर्श चूली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 84 व 85 आये हुए है जिसमे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 15 की पैतृक पुश्तेनी भूमि है। उक्त पुश्तेनी भूमि अनुसार प्रार्थी का 1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का था। उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता भूरसिंह एवं उसके पश्चात आज दिन तक प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी राजकीय कर्मचारी होने से राजकीय कार्यो में व्यस्त रहते है जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 01 से 15 के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 15 का हिस्सा 3/4 है तथा विवादग्रस्त भूमि पर विधिवत बंटवाड़ा नही होने के कारण प्रार्थी का यह ज्ञात नही था कि विवादग्रस्त आराजी नरपतसिंह, कुशलसिंह व राणसिंह के नाम दर्ज हो गई, जबकि प्रार्थी का उक्त विवादग्रस्त आराजी पर 1/4 हिस्सा जन्म से आया हुआ है तथा मौके पर कब्जा काश्त भी प्रार्थी एवं उनके परिवारों का है। उक्त स्थिति का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 15 मौके पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है तथा मौके पर चार दीवारी को तोड़कर चीणे व पत्थर डालकर निर्माण कार्य करने पर उतारू है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था, जिसमे वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 15 ने [illegible] द्वारा प्रस्तुत आवेदन झूठे, गलत मनगंढत, [illegible] पर प्रस्तुत किया गया है कि जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण राजपूत खानदान से है तथा प्रार्थी व उसके परिवार वालों चालाक व धूर्त व्यक्ति होने से तथा शराब बेचने वाले व्यक्ति है जिसका अप्रार्थीगण के खानदान से किसी प्रकार का

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.07.06 17:54:39 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 63/2022 अनवान दीपसिंह बनाम डूंगरसिंह
	रिश्ता नही है। आबकारी विभाग द्वारा उसकी अवैध होटल को बन्द किये जाने से नाराज होकर तथा जमीनों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण तथा तेल कम्पनीयों, सौर उर्जा, कोयला खदानों के कारण जमीनों के भाव में वृद्धि होने से फर्जी प्रार्थी की नियत खराब होने से अप्रार्थीगण की कब्जे की भूमि हड़पने हेतु भूरसिंह के नाम से फर्जी दस्तावेज प्रार्थी के पिता का नाम जैसा होने से बनावटी दस्तावेजों के आधार दस्तावेज बनाकर कर छल–कपट से भूमि हड़पने के लिए यह वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त खसरों पर प्रार्थी का कब्जा कभी नही रहा तथा वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वज भूरसिंह पुत्र बीजराजसिंह के नाम वक्त सेटलमेन्ट में दर्ज हुई। भूरसिंह पुत्र बीजराजसिंह के पूर्वज कश्चात कुशलसिंह, राणसिंह, नरपतसिंह के वारिशान के नाम नामान्तकरण संख्या 186 व 15 दिनांक 13.12.2004 को भरा गया जिससे यह स्पष्ट है कि भूरसिंह पुत्र बींजराजसिंह के तीन विधिक पुत्र थे। प्रार्थी का भूरसिंह पुत्र बींजराजसिंह के परिवार से कोई लेना–देना नही है। गत 23 वर्षो में कथित सरकारी नौकरी वाले फर्जी वादी को राजस्व स्थिति की जानकारी लेने का काम नहीं पड़ा हो यह मानने योग्य नहीं हे। अभी उक्त वाद के बाद पता करने पर अप्रार्थीगण को पता चला कि उक्त फर्जी प्रार्थी ने अपनी पत्नि जडावकंवर के नाम खसरा नम्बर 198/90 रकबा 47.03 बीघा मौजा आदर्श चुली व खसरा नम्बर 521/211 रकबा 09 बीघा मौजा लूणू आगोर में खरीदी है तथा उसके बाद वर्ष 2014 में कुछ भूमि अन्य लोगो को बेची थी। जिस भूमि पर पूर्व में एचडीएफसी बैंक में व बाद में मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बाडमेर में रहन रखकर वर्ष 2014 में ऋण प्राप्त [illegible] तब केसीसी प्राप्त करते समय समस्त [illegible] है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी को पूर्ण ज्ञान होने के बाद [illegible] से वाद पेश किया है तथा कथित फर्जी प्रार्थी स्वयं द्वारा उक्त वाद में कुछ दस्तावेज ए.डी.एम. कोर्ट बाडमेर के पेश किये गये है जिसमें किसी कथित अपीलांट नरपतसिंह पुत्र झण्डसिंह द्वारा अपील संख्या 24/10 पेश की गयी जिसमें भूरसिंह पुत्र बीजराजसिंह के कायम मुकामो में फर्जी प्रार्थी दीपसिंह का नाम अंकित है जो बिल्कुल

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.07.06 17:54:39 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 63/2022 अनवान दीपसिंह बनाम डूंगरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर	गलत है जो फर्जी प्रार्थी ने नरपतसिंह पुत्र झण्डसिंह से मिलावट कर षडयंत्र पूर्वक गलत लिखाया है। अप्रार्थीगण को उक्त कथित नरपतसिंह व अपील संख्या 24/10 का कोई ज्ञान नहीं था, यदि उक्त कथित दस्तावेज सही होते तो प्रार्थी दीपसिंह को अप्रार्थीगण के परिजनों के नाम उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1643 दिनांक 12.12.1990 का वर्ष 2010 में पूर्ण ज्ञान होना साबित होने के बावजूद फिर भी कथित प्रार्थी द्वारा उक्त अपीलाधीन भूमि में अपना नाम न होने से नाम दर्ज करवाने हेतु तथा उक्त वाद में दर्शित भूमि बाबत भी पूर्ण ज्ञान होने के बावजूद 12 वर्षो में कोई कार्यवाही अप्रार्थीगण के विरूद्व नहीं की गयी। प्रार्थी ने झूठे, गलत, बेबुनियाद किसी साक्ष्य सबूत के यह आवेदन पेश किया है जो दस्तावेजों के अवलोकन से खारिज किये जाने योग्य है। साक्ष्य अधिनियम धारा 32(2)(5)ख 34 के तहत पंडो भाटो की बहियो में की गयी प्रविष्टि साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य व प्रसागिक है। लिहाजा अप्रार्थीगण के पूर्वज भूरसिंह पुत्र बीजराजसिंह का पुत्र हो, इस प्रकार फर्जी प्रार्थी मनगढत, गलत, काल्पनिक आधारों पर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। मात्र फर्जी प्रार्थी के पिता का नाम अप्रार्थीगण के पूर्वज भूरसिंह के नाम से मात्र मिलता जुलता होने से मात्र काल्पनिक आधार पर किसी के खातेदारी अधिकारी को समाप्त कर बिना किसी ठोस आधार के किसी व्यक्ति को कानून खातेदारी नहीं दी जा सकती है। अतः प्रार्थी का आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनपश्चात प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो है कि प्रार्थी का कब्जा काश्त विवादग्रस्त भूमि पर है तथा प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार नही है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में हिस्सा है अथवा नहीं यह वाद के निर्णय से तथा गुणावगुण पर साक्ष्य सबूतों से तय होगा। लिहाजा न्यायालय को इस बात की सन्तुष्टी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति नही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.07.06 17:54:39 IST
Reason: SelfAttested